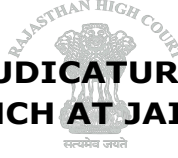




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)

No. 543/2026

CNR: RJHC020269142026 | URN: SOSA / 1037U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal No-615/2026

1. Kishanchand @ Kishan Swaroop Son Of Dalchand, Resident Of Lal Darwaja, Bayana, District Bharatpur (Raj.) (At Present In Central Jail, Bharatpur)
2. Gajendra Singh Son Of Chunnilal, Resident Of Lal Darwaja, Bayana, District Bharatpur (Raj.) (At Present In Central Jail, Bharatpur)
3. Rohit @ Chuggi Son Of Kishan Swaroop, Resident Of Lal Darwaja, Bayana, District Bharatpur (Raj.) (At Present In Central Jail, Bharatpur)
4. Rahul Son Of Gajendra Singh, Resident Of Lal Darwaja, Bayana, District Bharatpur (Raj.) (At Present In Central Jail, Bharatpur)
5. Bhudev @ Kalu Son Of Gajendra Singh, Resident Of Lal Darwaja, Bayana, District Bharatpur (Raj.) (At Present In Central Jail, Bharatpur)

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s) : श्री विक्रम सिंह चौहान

For Respondent(s) : श्री गौरव गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

**04-08-2026**

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-**05/2019 सरकार बनाम किशनचन्द वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **10.03.2026** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान कुछ समय अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 10.03.2026 से लगातार अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाहों के कथनों में विरोधाभास है, चिकित्सा विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 घटना के पांच महीने बाद ली गई है, अनुसंधान के दौरान ही पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका था। अनुसंधान के दौरान गवाह सुनीता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-9 अनुसंधान अधिकारी द्वारा करवाए गए थे जिसमें सुनीता द्वारा राजीनामा के तथ्य को स्वीकार भी किया गया है। उनका तर्क रहा है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य हैं। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट, चिकित्सक की राय व अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि



एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **03.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण 1. किशनचन्द उर्फ किशन स्वरूप पुत्र डालचंद, 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र चुन्नीलाल, 3. रोहित उर्फ चुग्गी पुत्र किशन स्वरूप, 4. राहुल पुत्र गजेन्द्र सिंह व 5. भुदेव उर्फ कालू पुत्र गजेन्द्र सिंह को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J